अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती लाड़ी वगैरह **बनाम** लाडू वगैरह

केस्म मुकदमा 225 राज.काश्तकारी अधि. . .नम्बर... 222.. सन.2022(अजमेर)

2022 / 222

श्री अजीत सिंह राठौड़ एड़

05.08.2022

श्रीमती लाड़ी बनाम लाडू वगैरह (222 / 2022)

यह अपील श्री अजीत सिंह राठौड़ एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2015, प्रकरण संख्या 72 / 2015 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश प्रस्तुत की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र पेश किया गया एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं सुनवाई प्रार्थना–पत्र स्थगन दिनांक 16.08.2022 को पेश हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

16.8.22

पत्रावली सुनवाई प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश प्रार्थना–पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.08. 2022 को पेश हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

23.8.22

पत्रावली आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश प्रार्थना–पत्र स्थगन पेश की गई। समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश प्रार्थना–पत्र स्थगन दिनांक 30.08.2022 को पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

30.8.22

पत्रावली आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश प्रार्थना–पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना–पत्रों पर दिनांक 16.08.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांटस की पुश्तैनी आराजीयात है लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा पूर्व प्रविष्टि परिवर्तित कर वादग्रस्त आराजीयात को तन्हा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 को मात्र 3 / 7 हिस्सा निहित है। इस त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का नाजायज लाभ अर्जित करने के इरादे से उनके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अवैधानिक रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 13 को बिना कब्जे के विक्रय कर दी गई जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था जिससे बन्दोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुए है एवं उनके द्वारा किया गया विक्रय जो हिस्से से अधिक किया गया है प्रथम दृष्टया शून्य विक्रय है जिसके आधार पर क्रेता को भी किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही हुए है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात आज दिनांक अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जबकि 06 माह के भीतर आदेश पारित करना न्यायोचित था इसलिए अपीलांटस के पास माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत कर पुश्तैनी आराजीयात को संरक्षित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नही है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा पूर्व प्रविष्टि परिवर्तित

लगातार

कर वादग्रस्त आराजीयात को तन्हा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 को मात्र 3/7 हिस्सा निहित है। त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की आड़ में भूमि विक्रय कर दी गई एवं क्रेतागण वादग्रस्त भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर परिवर्तन कर अन्यत्र रहन,बेचान, मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थीगण/अपीलांट पुश्तैनी आराजी में निहित अपने हिस्से से महरूम हो जायेगे जिससे प्रार्थीगण/अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण/अपीलांट के पक्ष में हैं। बन्दोदस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की आड़ में भूमि विक्रय कर दी गई और क्रेतागत भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने एवं राजस्व रिकार्ड व मौक पर परिवर्तन कर रहे। दिनांक 03.08.2022 को दी गई विधिक सलाह के आधार पर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत कर रहें मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, रिकार्ड व मौके तथा भूमि की किस्म एवं शक्ल में परिवर्तन करने एवं अन्यत्र रहन, बेचान, मुन्तकिल करने से रेस्पोडेन्टस को पाबंद फरमाया जावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व अपील मीमो व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में देरी के कारण संतोष प्रद होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात पत्रावली के अवलोकन के बाद स्पष्टतया यह तथ्य सामने आता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वर्ष 2015 से विचाराधीन है तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, शेष पक्षकारान की तामीली जरिये रजिस्टर्ड एडी. की जाकर 06 माह में निस्तारण किया जाना चाहिए था। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 06 की तलबी एवं सुनवाई प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 जा.दी. हेतु नियत है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 6 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। प्रकरण (प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम) का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को करना है। अपीलांटस की पुश्तैनी आराजीयात को सरंक्षित किया जाना न्यायहित में उचित है। मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है जैसा कि 2016 आर.बी.जे. पेज 360, 2016 आर.बी.जे.पेज 468, 2019 आर.बी.जे. पेज 129 आदि पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती लाड़ी वगैरह **बनाम** लाडू वगैरह

किस्म मुकदमा 225 राज.काश्तकारी अधि. . .नम्बर... 222.. सन.2022(अजमेर)

लगातार	कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 72/2015 बउनवान लाडी बनाम लादू वगैरह में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 15.09.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील अधिकारी अजमेर